प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 04 जुलाई, 2016**

विषय- चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(i) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2003 के अनुसार चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) के लिये पदोन्नति हेतु उपलब्ध उच्च स्तर के 22 पदों को विभाग के चिकित्सा संवर्ग में वापस किया जाय। साथ ही चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के सृजित 1678 पदों में से 22 पदों को उच्चीकृत कर अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600) एवं उप निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600) का एक-एक पद तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600) के 20 पद उपलब्ध कराये जायें। उक्त व्यवस्था के उपरान्त चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 1656 पदों के लिए पदोन्नति हेतु उच्च स्तर के 22 पद उपलब्ध हो जायेंगे।

उपर्युक्तानुसार उपलब्ध उच्च स्तर के 22 पदों के कार्य स्थल तथा कार्य एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी।

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के उक्त पदों पर उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली,2003 में प्राविधानित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया ही लागू होगी।

(ii) कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग को बनाये रखने अथवा मृत संवर्ग घोषित करने तथा संवर्ग को बनाये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रखने की स्थिति में उनकी आयुर्वेदिक/यूनानी विभाग के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में नियुक्ति की व्यवस्था किये जाने अथवा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ही बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। उक्त संवर्ग की आवश्यकता न होने की स्थिति में इसे मृत संवर्ग घोषित करने की कार्यवाही की जानी होगी। उक्त संवर्ग को बनाये रखने तथा चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में ही तैनाती बनाये रखने की स्थिति में, संवर्ग के नियुक्त प्राधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग होने तथा उक्त संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण, कार्य का पर्यवेक्षण तथा वेतन आदि के भुगतान की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने के फलस्वरुप दृष्टिगोचर व्यवहारिक कठिनाई के निराकरण के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

उक्त बिन्दुओं पर नीतिगत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है। अतः सम्बन्धित प्रकरण सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के सन्दर्भ में प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-34/2016/वे0आ0-2-636(1) /दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in